सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 636 राँची, बुधवार, 19 श्रावण, 1938 (श०) / 10 अगस्त, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 जुलाई, 2016

कृपया पढ़ें:-

1. उपायुक्त, सिमडेगा का पत्रांक-186 (i) /गो०, दिनांक 23 मई, 2004 एवं पत्रांक-1549 (ii) / जि०ग्रा०, दिनांक 3 अक्टूबर, 2012

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प सं०-3573, दिनांक 6 जुलाई, 2004; पत्रांक- 6409, दिनांक 14 अक्टूबर, 2011; पत्रांक-347, दिनांक 11 जनवरी, 2013; पत्रांक-1426, दिनांक 17 फरवरी, 2014 एवं पत्रांक-800, दिनांक 1 फरवरी, 2016

3. श्री महावीर प्रसाद, भा०प्र०से०, तत्कालीन सचिव, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, झारखण्ड, राँची –सह- संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-16/सी०, दिनांक 8 अप्रैल, 2006

संख्या- 5/आरोप-1-333/2014 का.- 6186-- श्री जय गोपाल राय, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-42/03, गृह जिला- भोजपुर), के उप विकास आयुक्त, सिमडेगा के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-186 (i)/गो०, दिनांक 23 मई, 2004 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप प्रतिवेदित किया गया, जिसमें इनके विरूद्ध अधीनस्थ कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का भयादोहन करने, स्वार्थ सिद्धि हेतु न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने, विकास कार्यों में मनमानी करने, प्रबंध पर्षद् के निर्णयों की अवहेलना करने, विकास कार्यों में रूचि नहीं रखने, नियम विरूद्ध कार्य करने, कम्प्यूटर क्रय में अनियमितता बरतने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने तथा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी कुल 8 (आठ) आरोपों का उल्लेख है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं0-3573, दिनांक 6 जुलाई, 2004 द्वारा श्री राय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री महावीर प्रसाद, भा०प्र०से०, तत्कालीन सचिव, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । श्री प्रसाद के पत्रांक-16/सी०, दिनांक 8 अप्रैल, 2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रपत्र- 'क' के आरोप सं0-3(ii) 4(i) 4(ii) 5(ii) 5(iv) एवं 6(ख),(ग),(घ),(ङ) को प्रमाणित पाया गया । चूँकि श्री राय सेवानिवृत्त हो चुके थे, अतः निर्णय लेने के पूर्व विभागीय पत्रांक-6409, दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 द्वारा उपायुक्त, सिमडेगा से श्री राय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों में सन्निहित आर्थिक क्षति का आकलन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-1549(ii)/जि०ग्रा०, दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री राय एवं कम्प्यूटर आपूर्तिकर्त्ता मेसर्स फ्लिकॉट प्र०लि०, दिल्ली के साथ आपराधिक षडयंत्र कर करीब 40-50 लाख सरकारी राशि के गबन का मामला बनता है । इस प्रतिवेदन का आधार पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा के ज्ञापांक-270/सी०आर०, दिनांक 14 मार्च, 2003 द्वारा समर्पित पर्यवेक्षण टिप्पणी है ।

उपायुक्त, सिमडेगा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री राय के विरूद्ध पेंशन से 20 प्रतिशत राशि की कटौती का दण्ड प्रस्तावित किया गया, जिसके लिए

विभागीय पत्रांक-347, दिनांक 11 जनवरी, 2013 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । श्री राय के पत्र, दिनांक 4 अप्रैल, 2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा के जिस पर्यवेक्षण टिप्पणी के आधार पर राज्यकोषीय क्षति प्रतिवेदित की गयी है, वह अन्तरिम है । अनुसंधान पूरा होने के बाद आरक्षी अधीक्षक, सिमडेगा के ज्ञापांक-825, दिनांक 25 सितम्बर, 2003 द्वारा इस मामले में अंतिम पर्यवेक्षण टिप्पणी दी गयी है, जिसमें उल्लेख है कि इनके विरूद्ध कम्प्यूटर क्रय में सरकारी राशि के गबन अथवा अनियमितता के आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

श्री राय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक-1426, दिनांक 17 फरवरी, 2014 द्वारा मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड से इनके जवाब में अंकित तथ्यों की पुष्टि किये जाने का अनुरोध किया गया तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया । मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1943, दिनांक 11 सितम्बर, 2015 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विषयगत मामले में वस्तुस्थिति की जानकारी पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा से प्राप्त की जा सकती है । तद्नुसार, विभागीय पत्रांक-800, दिनांक 1 फरवरी, 2016 द्वारा पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा से वस्तुस्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया गया । पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा के पत्रांक-347/अ०शा०, दिनांक 5 मार्च, 2016 द्वारा श्री राय द्वारा समर्पित अभिलेखों की पुष्टि करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि श्री जय गोपाल राय, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, सिमडेगा एवं आपूर्तिकर्त्ता मेसर्स फ्लिकॉट कम्पलेक्स प्रा०लि०, नई दिल्ली को धारा- 406/ 409/ 420/ 467/ 468/ 471/ 477ए/120बी के अन्तर्गत साक्ष्य की कमी दिखाते हुए अंतिम प्रतिवेदन सं०-91/03, दिनांक 28 सितम्बर, 2003 समर्पित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित विवरणी दर्ज है-"इस कांड के अनुसंधान, घटना स्थल के निरीक्षण, गवाहों के बयान एवं वरीय पदाधिकारी के पर्यवेक्षण से इस कांड में प्राथमिकी अभियुक्तों पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई । तत्कालीन उप विकास आयुक्त, सिमडेगा पर अनियमितता के आलोक में अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि उनके द्वारा सभी विषयों का पालन

करते हुए ही कम्प्यूटर की खरीददारी की गयी थी । उप विकास आयुक्त एवं आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध आरोप पत्र हेतु साक्ष्य नहीं पाया गया।"

श्री राय के विरूद्ध आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त, श्री राय द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को स्वीकार करते हुए विषयगत मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 636 –50 ।